

कार्यालय कार्यपालन यंत्री,
म. प्र. लोक निर्माण विभाग (भ/स.) संभाग क्र.1 रीवा (म. प्र.)
Web site : www.mppwd.gov.in email : eepwdrewa@mp.nic.in

क्रमांक ५५९ / तक / 2022-23

रीवा, दिनांक २२/७/०२३

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल
रीवा (म. प्र.)

विषय: रीवा जिले में क्योटी जनकहाई (पनियारीघाट) मार्ग निर्माण हेतु 6.132 हे. वनभूमि लो.नि.वि. रीवा को उपयोग पर देने बावत् ।

- संदर्भ: 1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPR019/2022-BHO दिनांक 31.03.2023
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक /एफ-5/1133/2022/10-11/1308 दिनांक 04.04.2023
3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 668 / तक / 2022-23 रीवा दिनांक 02.05.2023

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि रीवा जिले में क्योटी जनकहाई (पनियारीघाट) मार्ग निर्माण हेतु 6.132 हे. वनभूमि लो.नि.वि. रीवा को उपयोग में देने की सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। संदर्भ (1) भारत सरकार द्वारा जारी प्रथम चरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति में आरोपित समस्त शर्तों का पालन टेबुलर फार्म में तैयार कर हार्ड कॉपी प्रदाय करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं।

उपरोक्त तारतम्य में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन टेबुलर फार्म में तैयार कर (संदर्भ 3) हार्ड कॉपी आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर भेजा गया था। किन्तु मांग पत्र के अनुसार भुगतान राशि असफल होने के कारण पुनः दिनांक 15.09.2023 को भुगतान किया गया जो सफल हुआ एवं परिवेश पार्टल में भी प्रदर्शित हो रहा है। अतः कुछ अधिरोपित शर्तों में आंशिक संशोधन करते हुए पुनः सादर निम्नानुसार सम्प्रेषित है।

क्र.	आरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
A.	Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department	
(1)	Cost of compensatory afforestation on the CA land. 6.132 ha Non-forest land at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of	आरोपित शर्त क्र. A (1) के पालन में म.प्र. लो. नि.वि. संभाग क्र.1 रीवा के द्वारा दिनांक 16.09.2023 रु. 7005000.00 IFSC code

	survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the ro:ct authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include aplropriate prevision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	UBIN0996335 A/c No. 150766134206924 में वनीकरण की राशि जमा किया जा चुका है। (परिशिष्ट-1)
(2)	Non-forest land shall be transferred and mutated in favour of State Forest department and documents shall be submitted	रीवा जिले के तहसील जवा ग्राम जनकहाई कला की आराजी नं. 831/2/2 रकबा 3.1320 है. व आराजी नं. 765/2 रकबा 3.0000 कुल रकबा 6.1320 है. स्थान्तरित कर दी गई है। दस्तावेज परिशिष्ट के साथ संलग्न है। (परिशिष्ट-2)
(3)	The non-forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose oJ compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under Section-4 or Protected Forest under Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest: Act. A Copy of the PF /RF notification shall be submitted with Stage-I compliance report.	आरोपित शर्त क्र. A (3) के पालन में म.प्र. लो. नि.वि. संभाग क्र.1 रीवा के द्वारा चेक लिस्ट अनुसार समस्त दस्तावेज वन विभाग को प्रस्तुत कर दिये गये है। इस शर्त हेतु आवेदक संरथा बचनबद्ध है। बचनपत्र संलग्न है।
(4)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 6.132 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Couit of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in VIP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letter No. 5-1/I998-FC (Pt.-II) dated 18/09/2003, 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC(Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.	आरोपित शर्त क्र. A (4) के पालन में म.प्र. लो. नि.वि. संभाग क्र.1 रीवा के द्वारा दिनांक 16.09.2023 रु. 5873106.000 IFSC code UBIN0996335 A/c No. 150766134206924 में नेट प्रोजेक्ट वैल्यू की राशि जमा किया जा चुका है। (परिशिष्ट-1)
(5)	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited in CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	आरोपित शर्त क्र. A (5) के पालन में म.प्र. लो. नि.वि. संभाग क्र.1 रीवा के द्वारा दिनांक 16.09.2023 रु. 12878106.00 IFSC code UBIN0996335 A/c No. 150766134206924 में

		नेट प्रोजेक्ट वैल्यू व बनीकरण की राशि जमा किया जा चुका है। (परिशिष्ट-1)
(6)	Complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	कार्यालय कलेक्टर (अनु.जाति) एवं जनजाति कार्य विभाग जिला रीवा म.प्र. के पत्र क्र./जि. सं/वन अधिकार/2020-21/162 रीवा दि. 20.04.2021के तहत कलेक्टर महोदय द्वारा एफ. आर.ए. क्र. 161 दि. 20.04.21 द्वारा जारी किया गया है। (परिशिष्ट-3)
(7)	Plantation shall be raised on both sides and central verge of the road as per IRC norms by the State Forest Department at the cost of User Agency.	आरोपित शर्त क्र. A (7) के पालन में म.प्र. लो. नि.वि. संभाग क्र.1 रीवा आईआरसी के मापदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों ओर स्वयं के व्यय पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु बचनबद्ध है। बचनपत्र संलग्न है। (परिशिष्ट-4)
(8)	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per prescription in Para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	अधिरोपिता शर्त मान्य है।
(9)	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	Portal (https://parivesh.nic.in/). पर अपलोड कर दी गयी है।
(10)	In case the State Forest Department issues working permission, a copy of the same shall be submitted to this office.	अनुमति प्रदाय किया जाय।
B.	Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but compliance in the form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:	
(1)	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	म.प्र. लो.नि.वि. संभाग क्र.1 रीवा द्वारा वन भूमि की कानूनी स्थिति यथावत रखने हेतु बचनबद्ध है।
(2)	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 6.132 ha non-forest land at Khasra No. 831, Village-Janakahai Kala (Sonapokhar), Tehsil Jawa, District-Rewa at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of	आरोपित शर्त क्र. B (2) वन विभाग से संबंधित है।

	any species, especially non-native species should be avoided	
(3)	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	आरोपित शर्त क्र. B (3) के पालन में म.प्र. लो. नि.वि. संभाग क्र.1 रीवा द्वारा यदि NPV अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर देय हेतु बचनबद्ध है।
(4)	User Agency shall restrict the felling of trees to the enumerated 756 numbers/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department and State Forest Department shall undertake the felling.	अधिरोपित शर्त मान्य है।
(5)	Speed regulating sign ages will be erected all along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.	अधिरोपित शर्त मान्य है।
(6)	Boundary of the diverted forest land shall be Suitably demarcated on the ground at the project cost.	अधिरोपित शर्त मान्य है।
(7)	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	अधिरोपित शर्त मान्य है।
(8)	No labour camp shall be established on the forest land.	अधिरोपित शर्त मान्य है।
(9)	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest	अधिरोपित शर्त मान्य है।
(10)	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	अधिरोपित शर्त मान्य है।
(11)	Period of diversion under this approval shall be co-terminus with the project life.	अधिरोपित शर्त मान्य है।

(12)	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	अधिरोपित शर्तें मान्य हैं।
(13)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Central Government.	अधिरोपित शर्तें मान्य हैं।
(14)	The User Agency and the State Government shall ensure compliance of provisions of all the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any, for the time in force, as applicable to the project.	अधिरोपित शर्तें मान्य हैं।
(15)	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	अधिरोपित शर्तें मान्य हैं।

सहपत्र—उपरोक्तानुसार।



कार्यपालक यंत्री,
लोक निर्माण विभाग (भ./स.)
संभाग क्र.1 रीवा (म. प्र.)



AGENCY COPY

यूनियन बैंक
of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 12-09-2023

Agency Name.	OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER P.W.D. DIVISION NO.1 REWA
Application No.	6134206924
MoEF/SG File No.	6-MPR019/2022-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	Office of the Executive Engineer PWD (B.R.) Division No.1 Rewa (M.P.) Rewa
Amount(in Rs)	12878106/-

Amount in Words : One Crore Twenty-Eight Lakh Seventy-Eight Thousand One Hundred and Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150766134206924
	Valid only for this challan amount.

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only



BANK COPY

यूनियन बैंक
of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 12-09-2023

Agency Name.	OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER P.W.D. DIVISION NO.1 REWA
Application No.	6134206924
MoEF/SG File No.	6-MPR019/2022-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	Office of the Executive Engineer PWD (B.R.) Division No.1 Rewa (M.P.) Rewa
Amount(in Rs)	12878106/-

Amount in Words : One Crore Twenty-Eight Lakh Seventy-Eight Thousand One Hundred and Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150766134206924
	Valid only for this challan amount.

Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027
----------------------	--

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan transaction date and ref. no. to Email: esbir@unionbankofindia.bank, esbir@unionbankofindia.bank

100%
संपूर्ण संतुष्टि
Signature (मेरा संकेत)
Executive Engineer
P.W.D. BIR ON. 1 Rewa
09602371000 unionbankofindia.bank

7826218-1

**Ekruber File DDO Report
E.E. P.W.D. (B/R) Dn.1 REWA**

Date From: 13/09/2023 To : 18/09/2023

Bill No: 200016525056

Logged In User: Mr. MANOJ KUMAR DIWEDI(Assistant Engineer Civil)

Report Generated Time: 18/09/2023 11:35:56

DDO Code: 3201902002 : E.E. P.W.D. (B/R) Dn.1 REWA

Status: SUCCESS

Server Name: DCDBSRV4 Managed_2

Sr. No.	Debit Refrence	Date of Transaction	DDO Display Code	DDO Name	Bill No	Cheque No	Party Name	Credit Amount	Payment Mode	REC Status	Credit Payment Reference	Challan No	CREDIT PAYMENT Reference	CREDITOR Account No.	CREDITOR Bank	Beneficiary Name
1	19878	15/09/2023	3201902002	E.E. P.W.D. (B/R) Dn.1 REWA	200016525056	O320213944-1	MADHYA PRADESH CAMPA	1,28,78,106.00	Account	SUCCESS	RBI12592384308578	150766134206924	UBIN0996335			

[Handwritten signature]
**P.W.D. Engg. Dn. No. 1
Rewa (M.P.)**

32/62-1

**Payment Order List
E.E. P.W.D. (B/R) Dn.I REWA**

Date From: 13/09/2023 to : 18/09/2023

Logged In User: Mr. MANOJ KUMAR DIWEDI(Assistant Engineer Civil)

Report Generated Time: 18/09/2023 11:34:21

DIDO Code: 3201902002 : E.E. P.W.D. (B/R) Dn.I REWA

Server Name: DC1DBSRV4 Managed_2

Sr.No	Party Code	Party Name	Voucher No	Date of Payment	Amount Paid	WSC Code	Account No	Payment Mode	Bill Ref No	Advice No	Cheque No	Efile No	UTR NO
3201902002 : E.E. P.W.D. (B/R) Dn.I REWA >> UNION BANK OF INDIA >> FCS BANGALORE													
1	2000272580237	MADHYA PRADESH CAMP	3208443 /092023-24/0118	15/09/2023	1,28,78,106.00	UBIN0996335	150766134206924	E-Payment	MPTC 66/200016525056 /E0080	320/09/2023-24 O320213944	RBI 320_000420_15092023	RBI12592384308578	
Total					1,28,78,106.00								
Total					1,28,78,106.00								

*2000420
E-Payment
Dated (B/R) Dn. No. 1
Rewa (M.P.)*



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल सा० रीवा (म.प्र.)

जयन्ती कुंज, झिरिया, रीवा

E-Mail- dfot.rwa@mp.gov.in , Phone- 07662- 251335



क्रमांक/मा.चि./०८

प्रति,

रीवा, दिनांक ०१-०१-२१

कलेक्टर

जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :- क्योंटी जनकहाई मार्ग (पनियारी घाट) निर्माण हेतु प्रस्तावित वनभूमि रकवा 6.132 हे. के बदले समतुल्य वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त राजस्व भूमि (गैर वनभूमि) उपलब्ध कराये जाने बावत्। प्रकरण नम्बर - FP / MP / ROAD / 34206 / 2018

संदर्भ :- माननीय विधायक श्री दिव्यराज सिंह म.प्र. विधानसभा 68 सिरमौर जिला रीवा का पत्र क्रमांक 666 / 2020 / कार्य.वि. / सिरमौर दिनांक 17 / 12 / 2020

विषयांतर्गत अनुरोध है कि क्योंटी जनकहाई मार्ग (पनियारी घाट) निर्माण हेतु प्रभावित वनभूमि रकवा 6.132 हे. के बदले समतुल्य वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त राजस्व भूमि (गैर वनभूमि) ग्राम जनकहाईकला (सोनापोखर) के आराजी नं. 831 रकवा 25.080 हे. में से राजस्व भूमि 6.132 हे. गैर वनभूमि वनक्षेत्र से लगी हुई है साथ ही उक्त भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाई गई है।

अतः राजस्व भूमि ग्राम जनकहाईकला (सोनापोखर) के आराजी नं. 831 रकवा 25.080 हे. में से राजस्व भूमि 6.132 हे. गैर वनभूमि को वनविभाग के नाम हस्तांतरित करने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

पृष्ठा.क्र./मा.चि./०८

प्रतिलिपि :-

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल रीवा (म.प्र.)

रीवा, दिनांक ०१-०१-२१

- कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) सम्भाग क्रमांक १ रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- उप वनमण्डलाधिकारी रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल रीवा (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर
जिला रीवा





कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल सा० रीवा (म.प्र.)

जयन्ती कुंज, झिरिया, रीवा

E-Mail- dfot.rwa@mp.gov.in , Phone- 07662- 299135

क्रमांक/मा.चि./ ५३२४
प्रति,

रीवा, दिनांक १५-०६-२३

कार्यपालन यंत्री म.प्र.
लोक निर्माण विभाग (भ./स.)
सम्भाग क्रमांक १ रीवा

विषय :- क्योंटी जनकहाई (पनियारी घाट) मार्ग निर्माण के संबंध में।

संदर्भ:- वन परिक्षेत्राधिकारी सिरमौर का पत्र क्रमांक 751 दिनांक 30.05.2023 एवं उप वनमण्डलाधिकारी रीवा का पृष्ठांकन क्रमांक/2051 दिनांक 07.06.2023

— ०० —

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से लेख है कि प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल से प्रथम चरण की सैद्धांतिक अनुमति प्राप्त होने के बाद उक्त गैर वनभूमि को संरक्षित वन बनाए जाने की कार्यवाही में परिक्षेत्राधिकारी सिरमौर के द्वारा पुनः स्थल निरीक्षण कर संदर्भित पत्र से लेख किया गया है कि, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग रीवा एवं राजस्व विभाग के पटवारी हल्का जनकहाई एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में दिनांक 18.05.2023 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर “प्राप्त गैर वनभूमि को चिन्हांकन किया गया तो पाया गया कि चिन्हांकित रकवा 6.132 है. खसरा नम्बर 831 में स्थित नहीं है, इसके स्थान पर खसरा नम्बर 831 में रकवा 3.132 है. एवं खसरा नम्बर 765 रकवा 3.00 हे. में स्थित है” जिस कारण प्राप्त गैर वनभूमि की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण इसका पुनः परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

अतः आप स्वयं तहसीलदार एवं परिक्षेत्राधिकारी सिरमौर की उपस्थिति में आवेदित क्षेत्र कह वास्तविक स्थिति का संयुक्त स्थल निरीक्षण कर जॉच प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित करें, जिससे प्रकरण में संरक्षित वन बनाने हेतु प्रस्ताव भारत शासन की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जा सके।

U
(चन्द्रशेखर सिंह भासे.)
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल रीवा (म.प्र.)

पृष्ठा.क्र./मा.चि./ ५३२५
प्रतिलिपि :-

रीवा, दिनांक / १५-०६-२३

- उप वनमण्डलाधिकारी रीवा की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि आप स्वयं उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए संयुक्त स्थल निरीक्षण करावें एवं संयुक्त स्थल निरीक्षण उपरांत गैर वनभूमि को संरक्षित वन बनाने का प्रस्ताव चेक लिस्ट अनुसार इस कार्यालय की ओर भेजे, जिससे प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय की ओर भेजा जा सके।
- तहसीलदार तहसील जवा, जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- वन परिक्षेत्राधिकारी सिरमौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि आप कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, उप वनमण्डलाधिकारी रीवा, तहसीलदार तहसील जवा की उपस्थिति में संयुक्त स्थल निरीक्षण करावें एवं निरीक्षण उपरांत गैर वनभूमि को संरक्षित वन बनाने का प्रस्ताव चेक लिस्ट अनुसार उप वनमण्डलाधिकारी रीवा के माध्यम से इस कार्यालय को दिनांक 18.06.2023 तक प्रस्तुत करें। प्रस्ताव में समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जावें।

U
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल रीवा (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग कुमांड - १ रीवा मध्य प्रदेश
संख्या २४/। तिथि ०५/०२/२०२३ - २०२४ - रीवा दिनांक - ३/७/०२३

स्वतंत्रिपि - अनुविक्षाणीय आधिकारी लोक निर्माण विभाग उप संभाग
कुमांड - योग्य नी लोक सुचनाएँ रख
कार्यपालन कार्यालय हेतु सापर
सम्मिलित।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
रीवा संभाग क० १, रीवा

मृग



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल साठ रीवा (म.प्र.)

जयन्ती कुंज, शिरिया, रीवा



E-Mail- dfot.rwa@mp.gov.in , Phone- 07662- 299135

क्रमांक / मा.चि. / ८५५
प्रति,

रीवा, दिनांक ०३-०८-२३

कलेक्टर
जिला रीवा

विषय :- क्योंटी जनकहाई (पनियारी घाट) मार्ग निर्माण के संबंध में।

संदर्भ :- आपसे की गई चर्चा दिनांक 20.07.2023, कार्यालयीन पत्र क्रमांक / मा.चि. / 6505 दिनांक 20.07.23 एवं वन परिक्षेत्राधिकारी सिरमौर का पत्र क्रमांक 855 दिनांक 22.06.23, उप वनमण्डलाधिकारी रीवा का पृष्ठांकन क्रमांक / 2367 दिनांक 06.07.2023

—00—

विषयांतर्गत निवेदन है कि क्योंटी जनकहाई (पनियारी घाट) मार्ग निर्माण में प्रभावित वनभूमि 6.132 हे. का संदर्भित पत्र द्वारा परिक्षेत्राधिकारी सिरमौर का जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आवेदित क्षेत्र का निरीक्षण आवेदक संस्था की उपस्थिती एवं राजस्व विभाग के पटवारी हल्का जनकहाई एवं ग्रामीणों की उपस्थिती में दिनांक 18.05.2023 को किया गया, जिसमें पूर्व से चयनित किये गये खसरे (खसरा नम्बर 831/2) की भूमि रकवा 6.132 हे. में से मात्र 3.132 हे. भूमि ही वृक्षारोपण योग्य है। इस खसरे से लगे हुए खसरा नम्बर 765 में 3.00 हे. अंश भाग रकवा की भूमि भी वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

प्रकरण में आपके द्वारा आदेश क्रमांक 28/अ-19/मूल/2020-21 दिनांक 19.01.2021 के द्वारा ग्राम जनकहाईकला की आराजी नम्बर 831/2 रकवा 25.080 का अंश भाग रकवा 6.132 हे. वन विभाग को हस्तांतरित किया गया था, जिसमें परिक्षेत्राधिकारी सिरमौर के उपरोक्त प्रतिवेदन अनुसार प्राप्त गैर वनभूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं है।

अतः अनुरोध है कि अधिग्रहित की गई भूमि का अधिसूचना प्रस्ताव भारत शासन को प्रेषित किया जाना अति आवश्यक होने के कारण उक्त भूमि के खसरा नम्बर 831/2 में से 3.132 हे. एवं खसरा नम्बर 765 में से 3.00 हे. भूमि का खसरेवार बटांकन एवं नक्शा तर्मीम कर एकजाई रकवा 6.132 हे. भूमि में संशोधन करने हेतु अपने अधीनस्थ तहसीलदार/संबंधित अधिकारी को निर्देशित करते हुए संशोधित खसरों का हस्तांतरण आदेश जारी करने का कष्ट करें।

(चन्द्रशेखर सिंह) भा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी


वनमण्डल रीवा (म.प्र.)

रीवा, दिनांक / ०३-०८-२३

पृष्ठा.क्र./ मा.चि. / ८५५

प्रतिलिपि :-

1. उप वनमण्डलाधिकारी रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ./स.) सम्भाग क्रमांक 1 रीवा की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि आप संबंधित तहसीलदार से सम्पर्क स्थापित कर प्रस्ताव पूर्ण कराने की कार्यवाही करते हुए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन बनाने का पूर्ण रूपेण प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, जिससे प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया जा सके।
3. तहसीलदार तहसील जवा, जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन परिक्षेत्राधिकारी सिरमौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल रीवा (म.प्र.)

०३-०८-२३

कार्यालय

कार्यपालन यंत्री

लोक निर्माण विभाग

रीवा सम्भाग क्र० 1, रीवा

संख्या ५०७७

तिथि ०१/०३/२०२४

शीता निमोल - ५/१०२३

प्रतिलिपि - अनुकूलिति अधिकारी कोक निमित्त विभाग अ

- विभाग क्रमांक - लोधर की ओर सूचनाएँ

- इस आवश्यक कार्यालय हुत साथ सम्पेत।

✓ कार्यपालन यंत्री

लोक निर्माण विभाग

रीवा सम्भाग क्र० 1, रीवा

न्यायालय कलेक्टर, जिला रीवा (मोप्र०)

प्रकरण क्रमांक २८/अ-१९/मूल/२०२०-२०२१

वन मण्डलाधिकारी,

वन मण्डल रीवा (मोप्र०)

आवेदक

बनाम

शासन मोप्र०

अनावेदक



आ दे श:
(पारित दिनांक १९ जनवरी २०२१)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सम्भाग क्रमांक १ रीवा के कार्यालयीन पत्र क्रमांक ३०९० /तक./२०२०-२०२१ दिनांक १६.१०.२०२० द्वारा रीवा जिले के अन्तर्गत क्योटी जनकहाई मार्ग (पनियारी घाट) निर्माण हेतु वन भूमि के बदले राजस्व भूमि सपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।

2. तहसीलदार तहसील जवा जिला रीवा से वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तहसीलदार तहसील जवा ने न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक ०१/अ-१९/२०२०-२०२१ के प्रतिवेदन दिनांक १५.०९.२०२० ग्राम जनकहाई कला की आराजी नम्बर ८३१ कुल रकवा २५.८०० हेक्टेयर में से ६.१३२ हेक्टेयर रकवा का वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के संयुक्त निरीक्षण उपरांत प्रस्तावित कर अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व अनुभाग त्योथर को प्रेषित कियां जिसमें अनुविभागीय अधिकारी तहसील त्यौथर उक्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए क्योटी जनकहाई मार्ग (पनियारी घाट) सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव ६.१३२ हेक्टेयर वन भूमि के बदले ग्राम जनकहाई कला पटवारी हत्का जनकहाई की भूमि खसरा क्रमांक ८३१ रकवा २५.०८० हेक्टेयर के अंश रकवा ६.१३२ हेक्टेयर का हस्तांतरण वन भूमि को किये जाने की अनुशंसा किया गया है।

3. वन परिक्षेत्राधिकार सिरमौर के पत्र क्रमांक २२०० दिनांक २५.११.२०२० के अनुरोध पर तहसीलदार जवा के पत्र क्रमांक १८६/प्रवा./२०२० जवा दिनांक २१.१२.२०२० द्वारा वनभूमि के बदले प्रस्तावित राजस्व भूमि को भौके पर चिन्हांकित कर दिया गया है। वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल ने पत्र क्रमांक मा.चि./०७ रीवा दिनांक ०१.०१.२०२१ के द्वारा प्रस्तावित वनभूमि रकवा ६.१३२ हेक्टेयर के बदले समतुल्य वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त राजस्व भूमि (गैर वनभूमि) को वन विभाग के नाम हस्तान्तरित करने में सहमति दी गई है।

3. उपरोक्तानुसार जनहित में क्योटी जनकहाई मार्ग (पनियारी घाट) निर्माण में पड़ने वाली वनभूमि (वन परिक्षेत्र सिरमौर) का रकवा ६.१३२ हेक्टेयर के बदले वन विभाग को समतुल्य गैर वन भूमि (राजस्व भूमि) ग्राम जनकहाई कला की आराजी नम्बर ८३१ रकवा २५.०८० हेक्टेयर के अंश रकवा ६.१३२ हेक्टेयर वन विभाग को मोप्र० के ज्ञापन क्रमांक एफ/५२/सात/नजूल/ ९२ भोपाल, दिनांक २७ जनवरी, २००४ एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-घार क्रमांक-१ की कण्डिका-३६ के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा वन संरक्षण अधिनियम १९८० के (संशोधन) नियम १९९२ की धारा २ के नियम ६(१) के अन्तर्गत एवं मोप्र० शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-२५/३६/२००५/१०-३ भोपाल दिनांक २६ अक्टूबर २००५ अनुसार वन विभाग को अंतरित की जाती है। तहसीलदार तहसील जवा तद्दनुसार अभिलेख में सुधार कर खसरा/नक्शा की प्रति संबंधित को उपलब्ध करावे।

कलेक्टर,
जिला रीवा (मोप्र०)

परिणाम-2

मध्यप्रदेश कर्मचारीकृत भू-अभिलेख



खसरा


प्रस्तुप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: जनकहाई कला			पटवारी हल्का: जनकहाई कला			तहसील: जवा			जिला: रीवा		वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/तरी मीटर में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति जिसके लिए निर्धारण किया गया है	पत्थेक माता/पिता/पति जिसकी भूमि के लिए निर्धारण किया गया है	1. सरकारी पट्टेदार का अंश	मोरुषी कृषक (यदि कोई नाम हो) का उसकी नाम/उसकी पति का नाम जिवास का पता निवास का पता निवास का पता	भूमि पर कृषक (यदि कोई नाम हो) का उसकी नाम/उसकी पति का नाम जिवास का पता निवास का पता निवास का पता	फसल के लिये 1. बंधक कर्मसूल 2. रबी क्षेत्रफल	फसल के लिये 1. बंधक कर्मसूल 2. रबी क्षेत्रफल	भूमि के लिये 1. अन्य अभियुक्तियाँ 2. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1566391713	82S8N0DEGJ7MH0	831/2/2 (S)	3.1320 हेक्टेयर (शासकीय) वन विभाग पता रीवा मध्य प्रदेश शासकीय संस्था	1							बटवारा प्रकरण क्रमांक 28/अ-19/ मूल/2020-21 आ.दि. 30/01/2021 के अनुसार तहसीलदार जवा दवारा स्वीकार किया गया है। न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0013/अ-74/2023-24, आदेश दि. 12/09/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।
			रु.0.00								

नोट :-

- यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
- इसका उपयोग किसी श्री न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- डिजिटल साइंड कॉम्पी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
- प्रदिविष्टियों से सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।



नोट :-

1. यह प्रत्यक्ष केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।

आदेश-पत्र (रिक्वेन्यू आर्डर शीट)

मामला क्रमांक । 3/अ-74 / मूल / 2023-2024


(1)

(2)

(3)

12.09.2023

1. प्रकरण आदेश हेतु लिया गया।
2. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सा० रीवा ने कार्यालयीन पत्र क्रमांक मा. चि./6505 दिनांक 20.07.2023 में लेख किया है कि न्यायालयीन आदेश क्रमांक 28/अ-19/मूल/2020-21 आदेश दिनांक 19.01.2021 द्वारा ग्राम जनकहाईकला की आराजी नम्बर 831/2 रकवा 25.080 हेक्टेयर भूमि का अंश भाग रकवा 6.132 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित की गई थी। परिक्षेत्राधिकारी, सिरमौर के पत्र क्रमांक 855 दिनांक 22.06.2023 एवं उप वनमण्डलाधिकारी रीवा का पू. पत्र क्रमांक 2367 दिनांक 06.07.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आवेदित क्षेत्र का आवेदक संस्था एवं पटवारी हल्का तथा ग्रामीणों की उपस्थिति में दिनांक 18.05.2023 को निरीक्षण में पाया गया कि पूर्व से चयनित भूमि गैर वनभूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं है। अधिग्रहित की गई भूमि का अधिसूचना प्रस्ताव भारत शासन को प्रेषित किया जाना है। भूमि खसरा नम्बर 831/2 रकवा 6.132 हेक्टेयर में से 3.132 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 765 के अंश रकवा 3.000 हेक्टेयर भूमि का संशोधित आदेश वन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।
3. प्रकरण में प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के मांग अनुसार पाया गया कि न्यायालयीन आदेश क्रमांक 28/अ-19/मूल/2020-21 में पारित आदेश दिनांक 19.01.2021 द्वारा जनहित में क्योटी जनकहाई मार्ग (पनियारी घाट) निर्माण में पड़ने वाली वन भूमि (वन परिक्षेत्र सिरमौर) का रकवा 6.132 हेक्टेयर के बदले वन विभाग को समतुल्य गैर वन भूमि (राजस्व भूमि) ग्राम जनकहाई कला की आराजी नम्बर 831 रकवा 25.080 हेक्टेयर के अंश रकवा 6.132 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को नियमानुसार अंतरित की गई थी जिसके संबंध में आवेदक वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल रीवा द्वारा भूमि खसरा 831 रकवा 6.132 हेक्टेयर में 3.132 हेक्टेयर भूमि वृक्षारोपण योग्य है तथा शेष रकवा 3.000 हेक्टेयर भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं है।
4. अतः उपरोक्त तथ्यों एवं वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सा० रीवा के मांग अनुसार न्यायालयीन आदेश दिनांक 19.01.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए ग्राम जनकहाई कला की आराजी नम्बर 831 रकवा 25.080 हेक्टेयर के अंश रकवा 6.132 हेक्टेयर अंतरित भूमि में से 3.000 हेक्टेयर भूमि के स्थान पर आराजी खसरा क्रमांक 765 अंश रकवा 3.000 हेक्टेयर भूमि म0प्र0 के ज्ञापन क्रमांक एफ/52/सात/नजूल/92 भोपाल, दिनांक 27 जनवरी, 2004 एवं राजस्व पुंस्तक परिपत्र खण्ड-चौर क्रमांक-1 की कठिङ्का-36 के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के (संशोधन) नियम 1992 की धारा 2 के नियम 6(1) के अन्तर्गत एवं म0प्र0 शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-25/36/2005/10-3 भोपाल दिनांक 26 अक्टूबर 2005 अनुसार वन विभाग को अंतरित की जाती है। तहसीलदार तहसील जवा तदानुसार अमिलेख में सुधार कर खसरा/नक्शा की प्रति संबंधित को लम्लब्ध कराये।
5. आदेश की प्रति संबंधित को भेजी जावे।
6. प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा०द० हो।



कलेक्टर
तिला रीता (म0प्र0)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अधिकारी

परिचय-2



खसरा

प्राप्त एक (विवर 6 देखिए)


मध्यप्रदेश भू-शास्त्र संगठन (भू-सर्वेक्षण संथा भू-अधिकारी) लियन, 2020

रामः जनकराई कला	पटवारी हत्का: जनकहाई कला	तहसील: जवा	जिला: रीवा	वर्ष: 2023-2024							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1566391691 82S8P8DEGHQDH0	765/2 (S)	3.0000 हेक्टेयर	(शासकीय) बन विभाग पता रीवा मध्य प्रदेश शासकीय संस्था	1							न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0013/प-74/2023-24, आदेश दि. 12/09/2023 के अनुसार भू-अधिकारी अद्यतित।
		₹ 0.00									मा.प. शासन मा.प. शासन खण्डि विभाग और कलेक्टर अनिन्ज शाखा रीवा के आदेशानुसार तहसीलदार जवा के शायक. 26वि-भा 74 /2017- 18दि.04/01/2018 के अनुसार रकम 4.737हे.10वर्ष (2025 तक) के लिये अनित सिंह मे. टाम्स बान्कटरिशन क. जनता कालेज रोड अलंपुर रीवा को दुष्प्रिय लीज स्वीकृत।

गोट 1:

- यह प्रत्यक्ष केवल पार्श्वी की जानकारी के लिये है।
- इसका उपयोग निष्पत्ति की ल्यायावधि में साझा के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- दिसिनेलो साईट कोड के लिए लोक सका केवल से, परम, पी, औंस्ट्राइन से अथवा ऑफलाइन आवेदन करें।
- परिचिती में मुद्रार/सशीधन हनु सर्विस जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।





ठालोंक सं.	ग्राम	हल्का	तहसील	ज़िला
	जनकहाई कला	जनकहाई कला	जवा	रीवा
सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल	भू.रा.शा		
765/2(S)	3.0000(हेक्ट.)	0	मापांक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4)	0 20 40 60 80 120 160 200m

भूस्वामी: (आसकीय) वन विभाग पता रीवा मध्य प्रदेश शासकीय संस्था

(हस्ताक्षर)

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।

परिवर्तन-3

कार्यालय कलेक्टर (अनु.जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग) जिला रीवा (म.प्र.)
फोन नं.-07662-252627, ई-मेल आई.डी.-dotw.rwa@mp.gov.in

क्रमांक / जि.सं. / वन अधिकार / 2020-21 /

रीवा, दिनांक / 04 / 2021

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,
वन मण्डल रीवा (म0प्र0)

विषय :-

क्योटी जनकहाई मार्ग (पनियारी घाट) निर्माण हेतु प्रस्तावित वनभूमि रकवा 6.132 हे.
के बदले समतुल्य वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त राजस्व भूमि (गैर वनभूमि) उपलब्ध कराये
जाने बाबत। प्रकरण-EP/MP/ROAD/34206/2018

संदर्भ :-

आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2092 / रीवा, दिनांक 26.02.2021

—00—

विषयांकित सन्दर्भित पत्र द्वारा क्योटी जनकहाई मार्ग (पनियारी घाट) निर्माण हेतु
प्रस्तावित वनभूमि रकवा 6.132 हे. वन अधिकार अधिनियम अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यपालन
यंत्री, म0प्र0 लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रीवा संभाग रीवा द्वारा चाहा गया था, जिसमें कलेक्टर
महोदय द्वारा एफ.आर.ए. क्रमांक 161 दिनांक 20.04.2021 द्वारा जारी किया गया है, जो आपकी ओर
अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- एफ0आर0ए0

जिला संयोजक
अनु.जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग
रीवा (म.प्र.)

पृ०क्रमांक / जि.सं. / वन अधिकार / 2020-21 / १६३

रीवा, दिनांक २०/०४/२०२१

प्रतिलिपि:-

01. कार्यपालन यंत्री, म0प्र0 लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) की ओर
अग्रिम कार्यवाह हेतु प्रेषित।


जिला संयोजक
अनु.जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग
रीवा (म.प्र.)

प्रतिरक्षा

Annexure-1

Form - 1
(For Linear Projects)
Government of M.P.

Office of the District Collector Rewa

No. 161.....

Date : 20.04.2024

I in compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF issued guidelines n submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act 2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that **6.132** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Madhya Pradesh Executive Engineer PWD Division No.1 Rewa (name of user agency) for Construction on Paniyarihat in Rewa District falls within jurisdiction of Kyoti Jankahai Road in Jawa (Rewa).

IT IS FURTHER CERTIFIED THAT :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **6.132 hectares** of forest area proposed for redirection. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **01 to 03**
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it,
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl : As Above

Signature
(कलाकाराजा टी.)

(Full name and official seal of the District Collector)

4126374243

Form - II
(For Linear Projects)
Government of M.P.
Office of the District Collector Rewa

Date. 20.04.2021

No. 1.G.1....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

I in compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF issued guidelines n submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act 2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that 6.132 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Madhya Pradesh Executive Engineer PWD Division No.1 Rewa (name of user agency) for Construction on Paniyarihat in Rewa District falls within jurisdiction of Kyoti Jankahai Road in Jawa (Rewa).

IT IS FURTHER CERTIFIED THAT :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 6.132 hectares of forest area proposed for rediversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 01 to 03
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications under vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, under the FRA.
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the complication and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Sahijana village(s) is enclosed as annexure 1 to annexure 3.
- (d) the discussion and decisions of such proposals has taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specially safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl : As Above



Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

(परिशिष्ट-7)

परिशिष्ट-4

शर्त क्रमांक A (7)

आईआरसी मानक के अनुसार रोड साइड दोनों ओर वृक्षारोपण करने का बचन-पत्र

आरोपित शर्त क्र. A (7) के पालन में म.प्र. लो.नि.वि. संभाग क्र.1 रीवा आईआरसी के मापदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों ओर स्वयं के व्यय पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु बचनबद्ध है।



कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग (भ/स.)
संभाग क्र.1 रीवा (म. प्र.)

(परिधि अनुमति)

शर्त क्रमांक B (3)

NPV अतिरिक्त राशि की जमा करने का बचन—पत्र

आरोपित शर्त क्र. B (3) के पालन में म.प्र. लो.नि.वि. संभाग क्र.1 रीवा द्वारा यदि NPV अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर देय हेतु बचनबद्ध है।


कायपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग (भ/स.)
संभाग क्र.1 रीवा (म. प्र.)